हुक्मतारीख	हुक्म याकार्यवाहीअजइजिशियल्सजज	
14.5.24	हरचद बनाम आसू अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा फालना पटवार हल्का हाड़ेतर तह–सांचौर में प्रार्थी की पुश्तैनी खेत खसरा नम्बर 38 रकबा 0.85 हैक्टयर व मौजा हाड़ेतर के खसरा नम्बर 323 रकबा 4.21 हैक्टयर,खसरा नम्बर 619 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 620 रकबा 2.40, खसरा नम्बर 621 रकबा 0.09 हैक्टयर कुल रकबा 6.71 हैक्टयर आये हुए है वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी आराजी है जिसपर प्रार्थी का हक–हकूक व अधिकार है प्रार्थी मौके पर कब्जा काश्त है मौके पर प्रार्थी की रहवासिय ढाणी भी स्थित है। उक्त आराजी का विधिवत बंटवाड़ा नही हुआ है संयुक्त आराजी है जिसमें प्रार्थी हक व हिस्सा 1/2 आया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 आसू अत्युन्त वृद्व अवस्था में है। जिसके सोचने समझने की शक्ति नही रही है जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 02 अप्रार्थी संख्या 01 को आगे कर प्रार्थी की पुश्तैनी हकों से वंचित करने हेतु व भूमिहीन करने के आशय से वादग्रस्त प्रार्थी की पुश्तैनी संपूर्ण आराजी को बेचान, रहन,तर्क,वसीयत कर प्रार्थी को नुसाशान पहुॅचाने के आशय से तुले हुए है जिन्हें ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है चूंकि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी 1/2 हिस्सा पुश्तैनी कब्जा काश्त, जन्मद्वि हक–हकूक होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों मूलभूत कानूनी स्तंभ प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार होने से प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रर्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे। हमनें प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली अध्ययन दस्तावेजात की भली–भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। कि मौजा फालना पटवार हल्का हाड़ेतर तह–सांचौर में प्रार्थी की पुश्तैनी खेत खसरा नम्बर 38 रकबा 0.85 हैक्टयर व मौजा हाड़ेतर के खसरा नम्बर 323 रकबा 4.21 हैक्टयर,खसरा नम्बर 619 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 620 रकबा 2.40, खसरा नम्बर 621 रकबा 0.09 हैक्टयर कुल रकबा 6.71 हैक्टयर की मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुदा ... नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.06.07 17:55:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner